शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जगदीप सिंह.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 292

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद के द्वारा बनाये गये कुल कितने विद्यालय भवन दिल्ली में स्थित हैं;	**शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार** दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अर्न्तगत बनाये गये कुल विद्यालय भवनों की संख्या 728 है । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में 102 विद्यालये भवन हैं जिनमें 187 विद्यालय चल रहे हैं। शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में 127 विद्यालय भवन हैं जिनमें 187 विद्यालय चल रहे हैं। कुल विद्यालय भवन 229 हैं। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के 434 विद्यालय साईटों में से 414 विद्यालय भवन स्थित हैं। 20 विद्यालय साईट का विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 567 विद्यालय भवन हैं। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के द्वारा बनाये गए कुल 42 विद्यालय भवन दिल्ली में स्थित हैं ।
ख	इन स्कूलों के भवनों की चारदीवारों पर कितनी अवैध दुकानें, मंदिर मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरिजाघर स्थित हैं;	**शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार** विभाग में उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार कुल 12 विद्यालय भवनों की चार दिवारी पर अवैध निर्माण किया गया है । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** निगम विद्यालय नन्दी नगरी बी–4, ब्लॉक स्थित विद्यालय परिसर में मजार है और शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी विद्यालय की चारदीवारी में कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद गुरूद्वारे नहीं है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विद्यालयों भवनों की चारदीवारी पर कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारें, गिरिजाघर स्थित नहीं है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** 08 विद्यालयों की बाहरी चारदीवारी अतिकमण है। 1. शकूरपुर ई–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मकान है। 2. शकूरपुर जी–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकान है। 3. शकूरपुर एच–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकान है। 4. शकूरपुर आई–ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर दुकानदारों द्वारा अतिकमण है। 5. वजीरपुर जे.जे. न्यू विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर व मस्जिद है। 6. वजीरपुर जे.जे. ओल्ड विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर व दुकान है। 7. जहांगीरपुरी एच.ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर है। 8. जहांगीरपुरी ए.ब्लॉक विद्यालय की बाहरी दीवार पर मंदिर है। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय भवन के चारदीवारों पर कोई भी अवैध दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरजाघर स्थित नहीं हैं।
ग	ये सभी अवैध निर्माण किस दौरान हुए;	**शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार** सभी अवैध निर्माण कई दशक पुराने हैं । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** ये सभी अवैध निर्माण विद्यालय स्थापित होने से पूर्व की हैं। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार

		उत्तरी दिल्ली नगर निगम यह सभी अवैध अतिक्रमण पुरानें है। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** उत्तर ख के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।
घ	इन अवैध निर्माणों को रोकने की जिम्मेदारी किस–किसी विभाग के किन–किन अधिकारियों की थी, उनकी सूची क्या है; और	**शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार** अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग की है । सभी अधिकारियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि सरकारी भवनों पर अवैध निर्माण के खिलाफ चौकसी रखी जाए । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** विद्यालय परिसर के अन्दर अतिक्रमण (अवैध निर्माण) को रोकने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है यह निर्माण विद्यालय स्थापित होने से पूर्व का हैं। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इन अतिक्रमणों को हटाने का कार्य क्षेत्रीय अभियांत्रिक विभाग व पुलिस का है। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** उत्तर ख के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।
च	विद्यालय प्रमुखों, उप–निदेशकों, शिक्षा निरीक्षकों और निगम, निगम परिषद शिक्षा अधिकारियों ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए कितनी प्राथमिकी दर्ज कराई गई और की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा क्या है?	**शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार** 1 जिला पूर्व के दो विद्यालयों में से एक विद्यालय के एक अवैध निर्माण पर परिवार न्यायालय में विचाराधीन है । 2 जिला उत्तर पश्चिम बी के अन्तर्गत सर्वोदया कन्या विद्यालय मंगोल पुरी एच. ब्लॉक से अवैध कब्जें को हटाने के लिए एम.एच. ओ. मंगोल पुरी को दिनांक 08.08. 2016 को एफ.आई. आर. के लिए पत्र लिखा एवं 19.08.2016 को अनुस्मारक जारी किया गया । इस संदर्भ में एस. डी. एम. आफिस को भी दिनांक 11.08.2016 व 19. 08.2016 को पत्र लिखा गया । 3 जिला मध्य/ नई दिल्ली के अन्तर्गत सर्वोदया कन्या विद्यालय जीनत महल में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पी.डब्ल्यू. डी. एवं राजस्व विभाग को क्रमशः पत्र दिनांक 14.03.2018 व 16.11.2017 प्रेषित किये गये । 4 जिला पश्चिम ए के एस. के. बी. नम्बर 02 टेगोर गार्डन के संदर्भ में दिनांक 24. 08.2016 को पत्र संख्या 200 के द्वारा भूवपूर्व मेयर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, निगम पार्षद, विधायक, एस.एच.ओ.(राजौरी गार्डन) एवं डिप्टी कमिश्नर दि.न. नि. को अवगत कराया गया । पत्र संख्या 427 दिनांक 17.12.2016 के द्वारा फिर से अनुस्मारक कार्यवाही हेतु दिया गया । इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रमुख्यों, उप निदेशकों द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के लिए समय–समय पर संबंधित विभागों को सूचित किया जाता रहा है । **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है अतः इसे हटाने के लिए निदेशक, शिक्षा द्वारा धार्मिक कमेटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार को मई–2013 में पत्र लिखा गया था। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। **नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्** उत्तर ख के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat